

मैसर्स शर्मा ए सेल्स सेंटर, गुड़गांव बनाम हरियाणा राज्य(टुली, जे.)

हरबंस सिंह, सीजे और बाल राज तुली जे के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मैसर्स शर्मा सेल्स सेंटर, गुड़गांव, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

1971 का सामान्य बिक्री कर संदर्भ संख्या 8  
13 फ़रवरी 1973.

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का एक्सएलवीआई) - धारा 11(6) और 22(2) (बी) - एक अपंजीकृत डीलर के रूप में खरीदे गए माल पर बिक्री कर का भुगतान करने वाला निर्धारिती - क्या धारा 11(6) के तहत आगे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है - भुगतान किए गए कर पर कटौती - क्या स्वीकार्य है - समानता और न्याय, क्या कर कानूनों के प्रशासन में कोई स्थान है।

माना जाता है कि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत प्रत्येक पंजीकृत डीलर अधिनियम के तहत निर्धारित अपने मूल्यांकन योग्य कारोबार पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 5 (2) और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 29 में स्वीकार्य कटौती प्रदान की गई है। जहां एक निर्धारिती पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा था और एक अपंजीकृत डीलर के रूप में खरीदे गए सामान पर बिक्री कर का भुगतान किया था, अधिनियम का कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत इसके लिए कटौती का दावा किया जा सकता है। वह यह आग्रह नहीं कर सकता कि वह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आगे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोहरे कराधान का कोई सवाल ही नहीं है। एक अपंजीकृत व्यापारी के रूप में निर्धारिती द्वारा खरीद के पहले लेनदेन पर, कर पंजीकृत व्यापारी द्वारा देय था जिसने उसे माल बेचा था और वह लेनदेन के संबंध में निर्धारिती नहीं था। इसके अलावा, प्राकृतिक न्याय का कोई सिद्धांत नहीं है कि एक लेनदेन पर दो बार कर नहीं लगाया जा सकता है।

माना जाता है कि जब कोई निर्धारिती कर कानून के तहत कर योग्य होता है, तो यह साबित करने का बोझ उस पर होता है कि वह किसी कटौती या छूट का हकदार है और केवल ऐसी कटौतियाँ और छूट की अनुमति है जो अधिनियम या बनाए गए नियमों में प्रदान की गई हैं। वहाँ के नीचे, किसी भी कटौती या छूट की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि मूल्यांकन प्राधिकारी या कोई उच्च अधिकारी सोचता है कि इक्विटी या न्याय में करदाता को कटौती या छूट की अनुमति दी जानी चाहिए। कर कानूनों के प्रशासन में समानता और न्याय का कोई स्थान नहीं है, जिन्हें विधानमंडल द्वारा अधिनियमित उनके प्रावधानों के अनुसार प्रशासित और लागू किया जाना चाहिए, न कि अधिनियमों को प्रशासित करने वाले व्यक्तियों की धारणाओं पर।

मैसर्स शर्मा ए सेल्स सेंटर, गुड़गांव बनाम हरियाणा राज्य(टुली, जे.)

माननीय उच्च न्यायालय के 18 दिसंबर 1971 के आदेश के अनुपालन में बिक्री कर न्यायाधिकरण हरियाणा द्वारा बनाए गए बिक्री कर अधिनियम की धारा 22 (एच) (बी) के तहत कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर राय के लिए संदर्भ एस.टी.एम. का 1970-71 की संख्या 38, इस माननीय उच्च न्यायालय को:-

"क्या यह निर्धारिती के लिए खुला है जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है और उसने अपंजीकृत डीलर के रूप में अपने द्वारा खरीदे गए सामान पर बिक्री कर का भुगतान किया है, यह आग्रह करने के लिए कि वह धारा 11 (6) के तहत उस पर आगे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम का? .

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जी.सी.मितल और प्रकाश चंद।

ए.जी. एच. आर्यना के वकील एस.पी. जैन और उत्तरदाताओं के लिए वकील एस.के. शर्मा ए।

### निर्णय

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

टुली, जे.-याचिकाकर्ता फर्म (इसके बाद डीलर कहा जाएगा), 1 जून, 1965 से रेडियो, ट्रांजिस्टर, सोफा सेट, इलेक्ट्रिक सीलिंग पंखे आदि बेचने का व्यवसाय कर रहा था, और बिक्री कर विभाग द्वारा 26 अप्रैल, 1967 से अन्य राज्यों से माल आयात करते हुए पाया गया था। डीलर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा और उसकी देनदारी की तारीख 26 अप्रैल, 1967 से तय की गई थी। डीलर ने वर्ष 1967-68 के लिए अपनी खाता पुस्तकें प्रस्तुत कीं और कर निर्धारण प्राधिकारी, गुड़गांव द्वारा नवंबर के आदेश द्वारा मूल्यांकन किया गया। 12, 1968 को, जहाँ कुल बिक्री कर का निर्धारण रु. 1,429.39. रुपये का जुर्माना पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (बाद में अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11(6) के तहत 200.00 भी लगाया गया और रुपये का डिमांड नोटिस दिया गया। डीलर को 1,629.39 रुपये जारी किये गये। डीलर ने अधिनियम की धारा 20(1) के तहत एक अपील दायर की, जिसे उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील), रोहतक ने 6 जनवरी, 1969 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष अगली अपील, हरियाणा केवल इस हद तक सफल हुआ कि जुर्माने की राशि घटाकर रु. 100.00 आदेश द्वारा, दिनांक 14 अप्रैल, 1969, और बिक्री कर का निर्धारण बरकरार रखा गया था। आदेश के विरुद्ध, डीलर ने कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को राय हेतु इस न्यायालय में संदर्भित करने के लिए अधिनियम की धारा 2(1) के तहत एक आवेदन दायर किया: -

“(i) कि याचिकाकर्ता पर कर के लिए कोई दायित्व तय नहीं किया जा सकता है।

(ii) क्या याचिकाकर्ता-फर्म पर दायित्व तय किया जा सकता है जब सकल कारोबार केवल आयात के आधार पर मात्रा से काफी कम था?

मैसर्स शर्म ए सेल्स सेंटर, गुड़गांव बनाम हरियाणा राज्य(टुली, जे.)

(iii) याचिकाकर्ता-फर्म ने 1 नवंबर, 1966 को हुए पुनर्गठन से पहले माल की आपूर्ति के लिए आदेश दिए थे, और माल वास्तव में पुनर्गठन के बाद आपूर्ति की गई थी। इसके बाद कोई नया माल बुक नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में क्या कानून में यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता पंजाब से माल का आयातक बन गया है।

(iv) क्या पहले बुक किए गए माल की कुछ आकस्मिक रसीदें हैं पुनर्संगठन, कानून और दायित्व में आयात के बराबर हो सकता है इसे ठीक किया जा सकता है।"

विद्वान न्यायाधिकरण ने 21 नवंबर, 1969 के आदेश द्वारा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके आदेश से कोई भी प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके बाद डीलर ने अधिनियम की धारा 22(2)(बी) के तहत इस न्यायालय में याचिका दायर की और बिक्री कर न्यायाधिकरण से प्रार्थना की कि कानून के उपरोक्त प्रश्नों को राय के लिए इस न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया जाए। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने, 18 दिसंबर, 1971 के आदेश द्वारा, ट्रिब्यूनल को मामले के विवरण के साथ कानून के निम्नलिखित प्रश्न को राय के लिए इस न्यायालय में भेजने का निर्देश दिया: -

“क्या यह निर्धारिती के लिए खुला है, जो आवेदन करने में विफल रहा है पंजीकरण के लिए और एक अपंजीकृत डीलर के रूप में उसके द्वारा खरीदे गए माल पर बिक्री कर का भुगतान किया था, यह आग्रह करने के लिए कि वह पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 11(6) के तहत उस पर आगे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है?

इस तरह ये संदर्भ हमारे सामने सुनने के लिए आया है।

(2) डीलर के विद्वान वकील ने श्री कृष्ण लाई बनाम राज्य (1) में अपने फैसले में बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया है: -

"----- मेरे सामने आए मामले में, यह तर्क दिया गया है कि निर्धारिती ने पहले ही एक अपंजीकृत डीलर के रूप में बिक्री कर का भुगतान कर दिया है, लेकिन फिर भी उससे यह अपेक्षा की जा रही है एक पंजीकृत डीलर के रूप में इसे दूसरी बार भुगतान करें। यह स्पष्टतः अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। अधिनियम में किसी भी चूक के बावजूद, यह प्राकृतिक न्याय के विपरीत है कि एक व्यक्ति को अपने करों का दो बार भुगतान करना होगा।

---

(1) एस.टी.ए. 26 फरवरी 1970 को बिक्री कर न्यायाधिकरण हरियाणा द्वारा 1968-69 की संख्या 200 का निर्णय लिया गया।

मैसर्स शर्म ए सेल्स सेंटर, गुड़गांव बनाम हरियाणा राज्य(टूली, जे.)

इसलिए, मुझे करदाता के इस तर्क को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि उससे कर की वसूली केवल एक बार की जानी चाहिए। तदनुसार, मैं मामले को कर निर्धारण प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ लौटाता हूँ कि वह निर्धारिती के दावे को सत्यापित कर सके कि उसने एक अपंजीकृत डीलर के रूप में कर का भुगतान किया है। यदि ऐसा है, तो उसके खिलाफ तय किए गए मूल्यांकन को बिक्री कर के प्रति उसकी कुल देयता के विरुद्ध समायोजित किए जाने वाले उसकी खरीद पर पहले से भुगतान किए गए कर की अनुमति के लिए संशोधित माना जाना चाहिए।

उक्त ट्रिब्यूनल ने बासी (1970-71 का एस.टी.एम. संख्या 2, 21 अक्टूबर 1970 को निर्णय लिया गया) के आवेदन पर राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को इस न्यायालय में भेजने से इनकार कर दिया: -

"क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्रतिवादी अपने दायित्व के निर्णय के बाद अपनी बिक्री पर कर का भुगतान करने के दायित्व के विरुद्ध अपनी खरीद पर एक अपंजीकृत डीलर के रूप में उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी/समायोजन का हकदार है।" पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 4(3) के तहत कर का भुगतान करें? "

इसके बाद राज्य ने इस न्यायालय में अधिनियम की धारा 22 (2) (बी) के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें ट्रिब्यूनल को उपरोक्त उद्धृत प्रश्न/कानून को राय के लिए इस न्यायालय में संदर्भित करने का निर्देश दिया गया, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। डी. के. एम. अहजन और गोपाल सिंह, जे.जे. 28 जनवरी, 1971 को। डीलर की ओर से यह दलील दी गई कि इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा है, और इसलिए, इसे तत्काल मामले में माना जाना चाहिए। डीलर उन वस्तुओं पर अतिरिक्त कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं था जिन पर उसने कर का भुगतान तब किया था जब उसने उन्हें अपंजीकृत डीलर के रूप में खरीदा था। हालाँकि, हमें इस निवेदन में कोई तथ्य नहीं मिला। इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अधिनियम की धारा 22(2)(बी) के तहत याचिका को खारिज करने का मतलब केवल यह था कि पीठ ने यह नहीं पाया कि कानून का कोई भी बिंदु अदालत के आदेश से उत्पन्न हुआ है। बिक्री कर न्यायाधिकरण. उस बर्खास्तगी का मतलब यह नहीं है कि न्यायाधिकरण के तर्क या निर्णय को मंजूरी दे दी गई थी।

(3) डीलर के विद्वान वकील अधिनियम के किसी भी प्रावधान को हमारे ध्यान में लाने में सक्षम नहीं हैं जिसके तहत उसके द्वारा दावा की गई कटौती की अनुमति दी जा सकती है। यह माना जाता है कि अधिनियम के तहत प्रत्येक पंजीकृत डीलर अधिनियम के तहत निर्धारित अपने मूल्यांकन योग्य टर्नओवर पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

मैसर्स शर्म ए सेल्स सेंटर, गुड़गांव बनाम हरियाणा राज्य(टुली, जे.)

अधिनियम की धारा 5(2) और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 29 में स्वीकार्य कटौती प्रदान की गई है। बेशक, ये दोनों प्रावधान किसी भी कटौती का प्रावधान नहीं करते हैं जिसका दावा इस मामले में डीलर द्वारा किया गया था। दोहरे कराधान का कोई सवाल ही नहीं है। खरीद के पहले लेनदेन पर, कर पंजीकृत डीलर द्वारा देय था जिसने याचिकाकर्ता को सामान बेचा था और याचिकाकर्ता उस लेनदेन के संबंध में निर्धारित नहीं था। अपनों के सम्मान में, बिक्री, याचिकाकर्ता बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और एक निर्धारित है। पहले लेनदेन में, याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री कर का भुगतान किया गया था, जबकि उसके द्वारा बिक्री के दूसरे लेनदेन में, बिक्री कर उस ग्राहक द्वारा देय था जिसने उससे सामान खरीदा था। इसलिए, डीलर पर दोहरे कराधान का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा, प्राकृतिक न्याय का कोई सिद्धांत नहीं है कि किसी लेनदेन पर दो बार कर नहीं लगाया जा सकता है। हमारी राय में, विद्वान न्यायाधिकरण ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ के बिना अपनी इच्छा और विचारों के आधार पर उस मामले का निर्णय लेने में पूरी तरह से गलत किया। जब कोई निर्धारित कर कानून के तहत कर योग्य होता है, तो यह साबित करने का बोझ उस पर होता है कि वह किसी कटौती या छूट का हकदार है और केवल ऐसी कटौतियाँ और छूट की अनुमति है जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान की गई हैं। किसी भी कटौती या छूट की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि मूल्यांकन प्राधिकारी या कोई उच्च अधिकारी सोचता है कि इक्विटी या न्याय में निर्धारित को कटौती या छूट की अनुमति दी जानी चाहिए। कर कानूनों के प्रशासन में समानता और न्याय का कोई स्थान नहीं है, जिन्हें विधानमंडल द्वारा अधिनियमित उनके प्रावधानों के अनुसार प्रशासित और लागू किया जाना है, न कि अधिनियमों को प्रशासित करने वाले व्यक्तियों की धारणाओं पर। हमें अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं मिला जिसके तहत डीलर कटौती का दावा करने का हकदार था और उसे कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसलिए, निर्धारण प्राधिकारी का निर्णय, जिसे उच्च अधिकारियों ने बरकरार रखा है, सही ढंग से लिया गया था।

(4) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने मैसर्स में पी. सी. जैन के एक फैसले को हमारे ध्यान में लाया है। जवाहर लाई सिरी चंद बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य ■ (2), जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ होती हैं: -

---

(2) 1969 के सी.डब्लू. संख्या 433 का निर्णय 30 नवंबर 1970 को हुआ।

मैसर्स शर्म ए सेल्स सेंटर, गुड़गांव बनाम हरियाणा राज्य(टुली, जे.)

“याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई सही ढंग से शुरू की गई थी और केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने अपने ग्राहकों से कोई बिक्री कर नहीं लिया था या उसने पहले ही बड़े आपूर्तिकर्ताओं से की गई खरीद पर बिक्री कर का भुगतान कर दिया था, जो विधिवत पंजीकृत थे, यह नहीं है। वैध बचाव और न ही वह इन आधारों पर अधिनियम के तहत दायित्व से बच सकता है।

वह भी एक अपंजीकृत डीलर का मामला था और ऐसी ही याचिका दायर की गई थी! वर्तमान मामले में, विद्वान न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह निर्णय उस दृष्टिकोण को समर्थन देता है जो हमने अपनाया है।

(5) ऊपर दिए गए कारणों से, हम राय के लिए हमारे पास भेजे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देते हैं। याचिकाकर्ता प्रतिवादी वकील की फीस 100 रुपये का भुगतान करेगा।

---

एन.के.एस.

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए एहताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव  
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,  
हरियाणा